न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 106 / 2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. ओमप्रकाश पुत्र भुरू, जाति खाती, निवासी रोडवाल तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:–––– वादी अपीलांट

बनाम

1 बलबीर पुत्र सेढू
2 मनोहर पुत्र बलबीर जाति खाती निवासी रोडवाल तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान
3 उप पंजीयक नीमराणा
4 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराणा
5 पंजाब नेशनल बैंक शाखा नीमराणा

:––– प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराणा दिनांक 29.5.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील रेस्पो0सं01,2 :– श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय

दिनांक 4.10.2021

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीगराणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 1911/2015 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 189 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 29.5.2018, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1451 रकबा 8 एयर वाके ग्राम रोडवाल तहसील नीगराणा जिला अलवर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें 3/8 भाग वादी का, 1/8 भाग प्रतिवादी संख्या 02 का तथा 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 01 का है । परन्तु प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई और वे रास्ते से लगती हुई अच्छी अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा बेचान करने पर उतारू है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.5.2018 द्वारा उक्त वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि कुर्रेजात रिपोर्ट गलत तौर पर बनाई गई है । तहसीलदार ने मुझ से यह कहते हुये हस्ताक्षर करवा लिये कि तुम्हारा कब्जा सडक पर दे दिया है । परन्तु तहसीलदार ने रेस्पो0 से साजबाज होकर मुझे सडक के पीछे कब्जा दे दिया । मेरे पास आने जाने का रास्ता भी नहीं है । विवादित आराजी के तरफ उत्तर दक्षिण को रास्ता है । तहसीलदार को कुर्रेजात आराजी मुतनाजा पक्षकारान को सडक की ओर कायम करने चाहिये थे । तहत अदालत ने तनकियात भी कायम नहीं की और ना ही मुझे साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया । अपीलाधीन निर्णय कैम्प में पारित किया गया है । कैम्प में पक्षकारान के वकील उपस्थित नहीं थे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 का कथन है कि विवादित आराजी का पूर्व में ही बाहमी बटवारा हो चुका है । उक्त बाहमी बटवारे अनुसार वादी के पिता व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है । वादी अपीलांट के पिता के फौत होने के बाद वादी अपीलांट व उसकी बहन उनके हिस्से पर बतौर वारिस काबिज हो गये । वादी अपीलांट की बहन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

सरोज देवी ने अपना हिस्सा प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 2 को बेचान कर दिया । सरोज देवी के हिस्से पर रेस्पो0 संख्या 02 काबिज हो गया । हम सभी पक्षकारान पूर्व में हुये बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है । अपीलांट ने अपने हिस्से में आई भूमि पर एक कमरा व चार दीवारी बना रखी है । उक्त आराजी आम रास्ते से लगती हुई नहीं है, बल्कि शमसान भूमि से लगती हुई है । प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 01 ने बाहमी बटवारे के अनुसार अपने हिस्से की भूमि में काफी समय पूर्व से ही निर्माण कर रखा है । हमारे द्वारा कोई जबरन कब्जा नहीं किया गया है । ग्राम पंचायत में एक समझौता पत्र भी निष्पादित किया गया था, जिसमें यह समझौता हुआ था कि पूर्व में हुये बाहमी बटवारे अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज रहेंगे । उक्त समझौता पत्र पर स्वयं वादी अपीलांट के भी हस्ताक्षर है । कुर्रेजात रिपोर्ट मौके अनुसार सही बनाई है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 5.9.2017 में बताया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1451 रकबा 8 एयर में ओमप्रकाश पुत्र भूरू हिस्सा 3/8, मनोहरलाल पुत्र बलबीर हिस्सा 1/8, बलबीर पुत्र सेढू हिस्सा 1/2 के खातेदार है । उक्त आराजी ग्राम उमरावगढ की सीमा से लगती हुई है । मौके पर उत्तर दक्षिण उक्त आराजी में रास्ता 13 फुट है । उसके बाद रास्ते पर बलबीर पुत्र सेढू का मौके पर कब्जा है । उक्त आराजी में 3 मकान, टीन सेड, पानी की टंकी, उसके पीछे ओमप्रकाश पुत्र भूरू खाली जगह है । इस कुर्रेजात रिपोर्ट सभी पक्षकारान की मौजूदगी में बनाई गई है,जिस पर स्वयं वादी अपीलांट के भी हस्ताक्षर है । इस रिपोर्ट पर तहसीलदार के भी हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार यह रिपोर्ट विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में बनाई जाना प्रकट होता है । इस रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति तहत अदालत में पेश किया जाना नहीं पाया जाता है । वादी अपीलांट ने अपील में मुख्य रूप से इस तथ्य पर आपत्ति उठाई है कि उनको सडक की ओर हिस्सा नहीं देकर सडक के पीछे कब्जा दिया गया है, जबकि उसका सडक के पास स्थित आराजी पर कब्जा है । इस सम्बन्ध में हमने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि मौके पर उत्तर दक्षिण उक्त आराजी में रास्ता 13 फुट है, उसके बाद रास्ते पर प्रतिवादी रेस्पो0 बलबीर पुत्र सेढू का मौके पर कब्जा है । इससे सिद्ध है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदे
राजस्व अपील अधिकारी, अ

प्रतिवादी रेस्पो0 बलवीर का कब्जा रास्ते पर है । वादी अपीलांट का कब्जा रास्ते के पीछे की ओर है । वादी अपीलांट को लगता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट कब्जा अनुसार नहीं बनाई गई तो इस सम्बन्ध में वादी अपीलांट को तहत अदालत में आपत्ति पेश करनी चाहिये थी । वादी अपीलांट ने अपील में जो आपत्तियां उठाई है, वे पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के विपरीत है । विभाजन की डिक्री विभाजन के नियमों 18 से 21 के तहत पारित किया जाना पाया जाता है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.5.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 106/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. ओमप्रकाश पुत्र भुरू, जाति खाती, निवासी रोडवाल तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:—— वादी अपीलांट

वनाम

1 बलबीर पुत्र सेढू
2 मनोहर पुत्र बलबीर जाति खाती निवासी रोडवाल तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान
3 उप पंजीयक नीमराणा
4 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराणा
5 पंजाब नेशनल बैंक शाखा नीमराणा

:—— प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराणा दिनांक 29.5.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील रेस्पो0सं01,2:– श्री रामेश्वर दयाल

पर्चा डिक्री दिनांक 4.10.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.5.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर